न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 71/2021 प्रार्थना पत्र

राधेश्याम पिता छगनलाल, जाति धाकड़, आयु 55 साल, निवासी बांगेडा घाटा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थी

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

श्री रामेश्वरलाल धाकड़, अधिवक्ता वादी

पैरोकार सरकार, नायब तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपस्थित

निर्णय दिनांक 07.02.2022

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी संस्थान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा बांगेडा घाटा की वर्तमान आराजी नं. 1245/2099 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके साबिक आराजी नं. 549 मीन रकबा 3 बीघा थे। इसी प्रकार आवंटन दिनांक से काबिज वर्तमान आराजी नं. 144/2067 रकबा 8.64 हैक्टेयर जिसके साबिक पुराने आराजी नं. 51 मीन रकबा 40 बीघा है। मूल साबिक आराजी नं. 549मीन रकबा 3 बीघा जिसके वर्तमान आराजी नं. 1245/2099 रकबा 0.6500 हैक्टेयर है जो कि प्रार्थी खातेदार को आवंटित की गई थी। परन्तु मौके पर कब्जा साबिक आराजी नं. 51 मीन रकबा 40 बीघा पर सौंपा गया जिसके वर्तमान आराजी नं. 144/2067 रकबा 8.6400 हैक्टेयर है जिसमें से 0.6500 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चारागाह भूमि के रूप में दर्ज कर दी गई है जिसे राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अपने स्तर पर प्रयास किये परन्तु विपक्षी द्वारा तरमीम शुद्धि नहीं किये जाने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में शुद्धि करते हुए प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि को प्रार्थी के खातेदारी में तरमीम करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी पैरोकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा कब्जे अनुसार तरमीम किये जाने में सहमति प्रकट की तथा प्रार्थी के कथनों को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने राजस्व रेकार्ड में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने नक्शा ट्रेस आराजी नं0 1245/2099 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबंदी संवत 2077–80 ग्राम बांगेडाघाटा की खाता सं0 645 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस ग्राम बांगेडा घाटा की आराजी नं0 144/2067, नामान्तरकरण संख्या 1702 ग्राम बांगेडाघाटा की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षैत्रफल ग्राम बांगेडा घाटा व नकल जमाबंदी संवत 2077–80 ग्राम बांगेडाघाटा की खाता संख्या 485 की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की हैं। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 1245/2099 प्रार्थी की खातेदारी भूमि होकर प्रार्थी को आवंटित की गई थी। प्रार्थी की खातेदारी का इन्तकाल नामान्तरकरण संख्या 1702 से दर्ज हुआ है। उक्त नामान्तरकरण पर चस्पा नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की खातेदारी तरमीम की गई थी, जो वर्तमान नक्शा ट्रेस से पृथक हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को जहां कब्जा दिया गया था, वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में उसकी खातेदारी आराजीयात वहां तरमीम नहीं हैं। तहसीलदार निम्बाहेडा ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का कब्जा आराजी नं0 144/2067 के 0.6500 हेक्टैयर रकबे पर बताया है, जिससे प्रार्थी के कथन प्रमाणित होते हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये संशोधन से किसी भी पक्षकार के खातेदारी अधिकार एवं रकबे पर कोई प्रभाव नहीं पडता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौके अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। पैरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी के कथनो को स्वीकार किया गया हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम बांगेडा घाटा के राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं:–

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं0	रकबा हेक्टैयर में	नाम खातेदार	आराजी नं0	रकबा हेक्टैयर में	नाम खातेदार
1	1245/2099	0.65	राधेश्याम पिता छगनलाल धाकड निवासी बांगेडा घाटा	1245/2099	0.6500	चारागाह
2	144/2067	8.64	चारागाह	144/2067	0.6500 7.99	राधेश्याम पिता छगनलाल धाकड निवासी बांगेडा घाटा चारागाह

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 07.02.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा